

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2015

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) and (k) of sub-section (2) of Section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Returns of Information by Universities) Rules, 2004 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, and commencement.—(1) These rules may be called University Grants Commission (Furnishing of Information by Universities) Rules, 2015.

(2) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, a State Act and every institution declared as deemed to be University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Returns and Information to be furnished.—Every University shall, on or before the date specified by the University Grants Commission every year in this behalf and in the format specified by the Commission by notification in the Gazette, furnish the following returns and information to the Commission, namely:—

- (a) Up-to-date copies of -
 - (i) the Act, Statutes and Ordinances;
 - (ii) rules for grant-in-aid to the colleges belonging to or recognized by or affiliated to it;
 - (iii) rules of the inspection of colleges belonging to or recognized by or affiliated to it;
 - (iv) rules of recognition or affiliation of colleges; and
 - (v) total number of colleges maintained or recognized by or affiliated to the university.
- (b) Reports on the inspection of colleges belonging to or recognized by or affiliated to it.
- (c) Minimum working days in the university, period of vacations, examination days and the number of days when actual teaching is conducted excluding the days for the preparation for examination.
- (d) Where there are admission tests a note indicating the minimum criteria laid down along with admission policy and variations, if any, from the basis specified for admission.
- (e) The statistics of the students admitted below the minimum qualifications referred to in clause (d) and justification for the same.
- (f) Residential accommodation for students.
- (g) Residential accommodation for staff.
- (h) The annual accounts of the university shall be prepared on accrual basis as per the "Formats of Accounts" approved by the Ministry of Human Resource Development, including the Audit Report.
- (i) The total staff strength in different categories with qualifications and research experience. This could be intimated by the university once in every three years, with changes, if any, to be intimated every year
- (j) Courses offered at different levels.
- (k) Students strength at various stages.
- (l) Teacher-student ratio.
- (m) Results of examinations with divisions.
- (n) Status of accreditation of the University and its colleges by a recognised agency.
- (o) Status of compliance with various University Grants Commission regulations.

- (p) Status of off-campus centres or study centres and distance education centres being operated by the university.
- (q) Self-financing courses being offered by the university.
- (r) Teaching staff – non-teaching staff ratio.
- (s) Position of vacancies against teaching staff posts.
- (t) Innovation in academics, research and management, if any.
- (u) Conformity with norms and requirements or regulations of various professional Councils.
- (v) Grants received from University Grants Commission or Central Agencies, scheme-wise during the last financial year and position of utilization.
- (w) Pending utilization certificate in respect of University Grants Commission grants, if any.
- (x) Programmes of study being offered in collaboration with any foreign university, with details thereof.

3. Every university and its affiliated colleges shall, on or before the date specified by the All India Survey on Higher Education every year in this behalf, upload complete and correct data, as required by the All India Survey on Higher Education, on the Survey Portal (www.aishe.gov.in). The ultimate responsibility of correct, complete and timely uploading of the data annually on All India Survey on Higher Education portal in respect of university, college shall be of the Registrar or Principal of the University or college respectively.

4. Failure to upload data or information on the All India Survey on Higher Education or for any other purpose for which University Grants Commission directs furnishing of data may entail reduction of grant-in-aid upto 25 per cent. of the annual grant-in-aid and other punitive action as the University Grants Commission or Central Government may deem fit. Order of the Central Government or University Grants Commission shall be notified in the web-page. Furnishing of inaccurate or wrong data or information shall attract similar punitive action.

5. Establishing and proving the authenticity and accuracy of the information shall be responsibility of the Registrar or Principal of the University or College concerned.

[F No.12-104/2012-U1]

ISHITA ROY, Jt. Secy


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2015/ आषाढ़ 8, 1937

No. 414]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2015/ ASHADHA 8, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2015

सा.का.नि. 517(अ).—केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (च) और (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना दिया जाना) नियम, 1979 का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना दिया जाना) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थान को लागू होंगे।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. दी जाने वाली विवरणियां और सूचना.—प्रत्येक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले प्रतिवर्ष और आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में निम्नलिखित विवरणियां और सूचना आयोग को देगा, अर्थात् :-

(क) निम्नलिखित की अद्यतन प्रतियां-

- (i) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश;
- (ii) उससे संबंधित या मान्यताप्राप्त या संबद्ध महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान के नियम;
- (iii) उससे संबंधित या मान्यताप्राप्त या संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के नियम;
- (iv) महाविद्यालयों की मान्यता या संबद्धता के नियम; और
- (v) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त या संबद्ध महाविद्यालयों की कुल संख्या ।

(ख) उससे संबंधित या मान्यताप्राप्त या संबद्ध महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट ।

(ग) परीक्षाओं की तैयारी के दिनों को छोड़कर विश्वविद्यालय में न्यूनतम कार्यदिवस, अवकाश की अवधि, परीक्षा के दिन और दिनों की संख्या जब वास्तविक शिक्षण कार्य किया गया ।

(घ) जहां प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, वहां प्रवेश संबंधी नीति और फेरफार. यदि कोई हो, के साथ निर्धारित न्यूनतम मानदंड प्रवेश के लिए विनिर्दिष्ट आधार होगा ।

(ङ) धारा (घ) के संदर्भ में जिन छात्रों को न्यूनतम अर्हता से नीचे प्रवेश दिया गया उनके आंकड़े और उसका औचित्य ।

(च) छात्रों के लिए आवासीय सुविधा ।

(छ) कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा ।

(ज) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षा है, मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित "लेखों के प्ररूपों" के अनुसार प्रोद्भव आधार पर तैयार किए जाएंगे ।

(झ) विभिन्न वर्गों में अर्हताओं और अनुसंधान अनुभव सहित कुल कर्मचारिवृंद संख्या । यह विश्वविद्यालय द्वारा हर तीन वर्ष में एक बार प्रति वर्ष परिवर्तन, यदि कोई हो, सहित सूचित किया जा सकता है ।

(ञ) विभिन्न स्तरों पर प्रदान किए गए पाठ्यक्रम ।

(ट) विभिन्न स्तरों पर छात्रों की संख्या ।

(ठ) शिक्षक-छात्र अनुपात ।

(ड) श्रेणियों सहित परीक्षाओं के परिणाम ।

- (ढ) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों की किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रत्यायन की स्थिति ।
- (ण) विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुपालन की स्थिति ।
- (त) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर से बाहर चलाए जा रहे केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों और दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थिति ।
- (थ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम ।
- (द) अध्यापन कर्मचारियों और अध्यापनेत्तर कर्मचारियों का अनुपात ।
- (ध) अध्यापन कर्मचारी पदों के विरुद्ध रिक्तियों की स्थिति ।
- (न) शैक्षिक, अनुसंधान और प्रबंधन में नवाचार, यदि कोई हो ।
- (प) विभिन्न वृत्तिक परिषदों के मानकों और अपेक्षाओं या विनियमों के साथ अनुरूपता
- (फ) विगत वित्त वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय अभिकरणों से प्राप्त योजनावार अनुदान और उनके उपयोग की स्थिति ।
- (ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबन्ध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो ।
- (भ) किसी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता में प्रदान किए जा रहे अध्ययन के कार्यक्रम, उनके ब्यारे साहेत ।

3. प्रत्येक विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध महाविद्यालय अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा पर सर्वेक्षण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट नारीख को या उससे पूर्व प्रतिवर्ष सर्वेक्षण पोर्टल (www.aishe.gov.in) पर अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा पर सर्वेक्षण द्वारा यथा अपेक्षित पूर्ण और सही आंकड़े अपलोड करेगा । विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के संबन्ध में अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा पर सर्वेक्षण पोर्टल पर प्रतिवर्ष सही, पूर्ण और समयबद्ध अपलोड करने का उत्तरदायित्व कमशः विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का होगा ।

4. उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर आंकड़े या सूचना अपलोड करने या किसी अन्य प्रयोजन, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आंकड़े देने का निदेश देता है, में असफल रहने पर, वार्षिक सहायता अनुदान के 25% तक कमी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे की जा सकेगी । केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदेश वेब-पेज में अधिसूचित किया जाएगा । अशुद्ध या गलत आंकड़े या सूचना देने पर समान दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

5. सूत्रता प्रामाणिकता और शुद्धता प्रमाणित करने या सिद्ध करने का उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के प्रधानाचार्य का होगा ।

[फा. सं. 12-104/2012-यू1]

ईशिता रॉय, संयुक्त सचिव